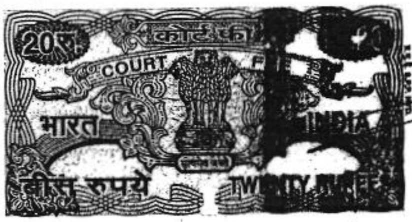

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R-2327-I/14

नगरपालिका परिषद खाचरौद जिला उज्जैन द्वारा मुख्यनगरपालिका अधिकारी नगरपालिका खाचरौद............आवेदक

विरूद्ध

1. तहसीलदार महोदय खाचरौद
2. दतात्रय पिता सदाशिवराव द्वारा डॉ. राधेश्याम पिता बगदीराम निवासी – 27 महात्मा गांधी मार्ग खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र.

.........अनावेदकगण

निगरानी धारा 50, म.प्र.भू–राजस्व सहिता के अंतर्गत तहसीलदार महोदय खाचरौद द्वारा पारित निर्देश दिनांक 01.07.2014 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

आवेदक द्वारा निम्न निगरानी पत्र प्रस्तुत है:–

1. यह कि आवेदक नगरपालिका अधिनियमित निकाय है । अनावेदक कमांक 2 द्वारा दत्तात्रय आदि भू–स्वामी के सर्वे नं. 996 क्षेत्रफल 0.136 स्थित खाचरौद की नपती का आवेदन पत्र एक भू–स्वामी से पॉवर ऑफ अटार्नी के आधार पर किसी समय प्रस्तुत किया गया। आवेदक नगर पालिका को राजस्व निरीक्षक खाचरौद द्वारा दिनांक 04.06.2014 को एक सूचना पत्र दिनांक 05.06.2014 को सीमांकन का दिया गया। आवेदक नगरपालिका द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष आपत्ति की गयी प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय को प्रेषित की गयी तहसीलदार महोदय के समक्ष भी फर्जी रिकार्ड के आधार पर नपती की कार्यवाही की जाना प्रकट कर आपत्ति की गयी । तहसीलदार महोदय के द्वारा नपती का आवेदन निरस्त कर आवेदक को आदेशित किया कि आवेदक नगरपालिका सर्वे नं. 992,993,994 एवं 995 का सीमांकन करावे । सीमांकन की कार्यवाही तक नगरपालिका द्वारा किये जा रहे निर्माण को बंद करे । उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी निम्न आधारो पर प्रस्तुत है।

निरंतर..........2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(50)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2327-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	